भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1444
दिनांक 25.07.2017/3 श्रावण, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण

†1444. डॉ. उदित राज:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सूचना आयोग के दिनांक 21.09.2016 के आदेश के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अंतर्गत पदों में एससी के लिए आरक्षण का अनुपात बढ़ाने हेतु एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग और सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क)और(ख): जी, नहीं। एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि कार्य आबंटन नियम के अनुसार, यह विषय-वस्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने सूचित किया है कि विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन पदों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के अनुपात को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग के दिनांक 21.09.2016 के आदेश के आधार पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।